

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर (छ.ग.)

//विविध आदेश//

क्रमांक-क/एक-15-3/2013,

सूरजपुर, दिनांक 02.03.2026

मैं, विनीता वार्नर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर (छ.ग.) पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन आदेश को निरस्त करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 8 (7) (8) और 214 एवं छ.ग. सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला सूरजपुर एवं सत्र खण्ड, सूरजपुर में पदस्थ न्यायाधीशों के मध्य निम्नानुसार नवीन कार्य-विभाजन करती हूँ, जो जारी दिनांक से प्रभावशील माना जाएगा :-

क्र.	न्यायालय का नाम	भौगोलिक क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार, जिनका निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज)/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सूरजपुर/विशेष न्यायाधीश, माइन्स एंड मिनरल्स (डेव्हलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) अधिनियम, 1957 तथा प्रधान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला, सूरजपुर।	- सत्र प्रकरण। - अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष सत्र एवं आपराधिक प्रकरण (एट्रोसिटीज) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दर्ज प्रकरण. (POCSO Act से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) - मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। - Drugs & Cosmetics Act, 1940 के अंतर्गत adulterated drugs & spurious drugs से संबंधित अपराधों का विचारण। - Chhattisgarh Protection of depositors Interest Act, 2005 के अंतर्गत अपराधों का विचारण। - समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी, सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं अपराधिक पुनरीक्षण। - न्यायाधीश, परिवार न्यायालय की अनुपस्थिति में अति आवश्यक कार्य का संपादन। - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग रायपुर के पृष्ठांकन क्रमांक-11765/3286/21-बी/सी.जी./2023, नवा रायपुर, दिनांक 05.10.2023 के द्वारा विशेष न्यायालय अधिसूचित किया गया। - माइन्स एंड मिनरल्स (डेव्हलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग रायपुर के पृष्ठांकन क्रमांक-1465/4310/21-बी/सी.जी./2024, नवा रायपुर, दिनांक 09.02.2024 के द्वारा विशेष न्यायालय अधिसूचित किया गया। - Suppression of Unlawful Acts against safety of civil aviation (ammendment) Act, 1994 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की सुनवाई हेतु छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर, रायपुर की अधिसूचना एफ.क्रमांक-01/4556/21-बी/सी.जी./2024, नवा रायपुर, दिनांक 01.01.2025 के द्वारा विशेष न्यायालय अधिसूचित किया गया। - जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सुनवाई न किये जाने की स्थिति में सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 के प्रावधानानुसार (101 अपीलों के अंतर्गत) प्रस्तुत अपील की सुनवाई की जाएगी।
		तहसील सूरजपुर, भैयाथान, भटगांव, ओड़गी, प्रेमनगर,	- स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत सिविल एवं विविध अपीलों व निर्वाचन याचिकायें। - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधि. 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले चुनाव याचिकाएं। - नगर पालिक निगम के अंतर्गत आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सिविल अपीलों।

		रामानुजनगर, लटोरी, बिहारपुर	4. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. मानवाधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत होने वाले प्रकरण। 6. भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा किये गये रिफरेंस। 7. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विचारणीय ऐसे वाद, याचिका तथा आवेदन पत्र जो इस आदेश में किसी अन्य न्यायालय को आबंटित नहीं हैं। 9. अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय विवाद जो इस आदेश में अन्य न्यायालय को आबंटित नहीं किये गये हैं। 10. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रेषित एवं अंतरित प्रकरण। 11. सूरजपुर जिले के अंतर्गत समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163 (ए), 166 एवं 140 मो0 व्ही0 एक्ट.1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। 12. रू0 40,00,001/- (चालीस लाख एक रुपये) से मूल्य के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादित एवं विविध सिविल प्रकरण। 13. समस्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न सिविल प्रकरण में घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें तथा विविध अपील, उत्तराधिकार अधिनियम की अपीलें। 14. Specific Relief Act, 1963 (Amendment) Act, 2018 HJS Level के अंतर्गत प्रकरण (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे।
2	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) /विशेष न्यायाधीश {एन.डी.पी.एस.एक्ट}/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), सूरजपुर एवं प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	सत्र खण्ड सूरजपुर।	1. एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 के तहत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग नवा रायपुर के अधिसूचना क्रमांक-एफ.नं.-11102/21-बी/सी.जी./ 2023, नवा रायपुर, दिनांक 15.09.2023 एवं एफ.नं.-103/4580/21-बी/सी.जी./2024, नवा रायपुर, दिनांक 07.01.2025 के द्वारा अधिसूचित किया गया। 2. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक-5119/1931/21-बी/सी.जी./2013, दिनांक-22.06.2013 के द्वारा अधिसूचित किया गया। 3. सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र। 4. चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) सूरजपुर के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन, विविध प्रकरण, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन, (रेप एवं पॉक्सो एक्ट संबंधी मामलों को छोड़कर) जिनका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) द्वारा किया जाता रहा हो।
		<u>तहसील</u> सूरजपुर, भैयाथान, भटगांव	1. रू0 10,00,001/- से रू0 40,00,000/- (दस लाख एक रुपये से चालीस लाख तक) मूल्य के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त प्रकार के प्रकरण एवं सिविल अपील, विविध सिविल अपीलें। 3. चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), सूरजपुर के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन, विविध प्रकरण, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन, जिनका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), सूरजपुर द्वारा किया जाता रहा हो।
3	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर/द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा	सत्र खण्ड सूरजपुर।	1. सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र।

[illegible]

			निष्पादन, विविध प्रकरण, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन, जिनका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर तृतीय जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), सूरजपुर द्वारा किया जाता रहा हो। 4. तृतीय जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), सूरजपुर के न्यायालय के लंबित/निराकृत प्रकरणों अथवा उनसे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को सम्पादित किया जाएगा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग., बिलासपुर से वापस प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्यवाही को सम्पादित किया जाएगा। 5. तृतीय जिला न्यायाधीश, सूरजपुर के न्यायालय के लंबित/निराकृत प्रकरणों अथवा उनसे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को सम्पादित किया जाएगा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग., बिलासपुर से वापस प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्यवाही को सम्पादित किया जाएगा।
5	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, Fast Track Special Court Surajpur	सत्र खण्ड सूरजपुर।	1. For exclusive hearing of Rape cases and cases under POCSO Act) 2. सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र। 3. सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 के प्रावधानानुसार (101 अपीलें के अंतर्गत) अपील की सुनवाई की जाएगी। 4. चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) सूरजपुर के न्यायालय से उद्धृत रेप एवं पॉक्सो एक्ट संबंधी निष्पादन, विविध प्रकरण, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन, जिनका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) द्वारा किया जाता रहा हो।
6	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, प्रतापपुर।	सत्र खण्ड सूरजपुर।	1. सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतापपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश के खिलाफ दायित्व अपील/पुनरीक्षण। 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर के अधिकारिता के पुलिस थानों से उद्धृत प्रकरणों में 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। 4. तहसील-प्रतापपुर के सभी थानों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध (रेप केसेस) एवं बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-28 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग, रायपुर द्वारा अधिसूचित किया गया। 5. प्रतापपुर तहसील अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) के साथ पॉक्सो अधिनियम से दंडनीय अपराधों के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत अधिसूचित एवं गठित निर्दिष्ट "विशेष न्यायालय" द्वारा दोनों अधिनियम के अधीन अपराधों का रिमाण्ड एवं नियमित विचारण किया जाएगा।
		<u>तहसील प्रतापपुर</u>	1. रुपये 10,00,001/- से अधिक मूल्य के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण। 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, प्रतापपुर द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें। 3. स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें एवं अन्य प्रकरण। 4. नगर पंचायत के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएँ एवं पुनरीक्षण। 5. दिवाला अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 6. प्रतापपुर की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों की स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण धारा 163 (ए), 166 एवं 140 मोटर यान अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत संबंधित दावा प्रकरण। 7. धारा 18 एवं 20 हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।

			8. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 9. संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 10. हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 11. विवाह विच्छेद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर	तहसील सूरजपुर प्रेमनगर, लटोरी, भटगांव	1. रुपये 5,00,001/- से रुपये 10,00,000/- (रुपये पांच लाख एक से रुपये दस लाख) तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. छ.ग.नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 142 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले उत्तराधिकार अधिनियम सहित समस्त प्रकरण। 4. Specific Relief Act, 1963 (Amendment) Act, 2018 LJS Level के अंतर्गत प्रकरण (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जाएंगे। 5. आबंटित क्षेत्राधिकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 6. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रकरण। 7. समस्त अधिकृत नहीं किये गये व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रकरण, जिनका निराकरण उपलब्ध होने पर उक्त न्यायाधीशगण द्वारा किया जाता रहा हो।
8	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर	--	(रिक्त न्यायालय)
9	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर	तहसील बिहारपुर	1. रुपये 5,00,001/- से रुपये 10,00,000/- (रुपये पांच लाख एक से रुपये दस लाख) तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. छ.ग.नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 142 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले उत्तराधिकार अधिनियम सहित समस्त प्रकरण। 4. Specific Relief Act, 1963 (Amendment) Act, 2018 LJS Level के अंतर्गत प्रकरण (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जाएंगे। 5. आबंटित क्षेत्राधिकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 6. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
10	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर	तहसील ओड़गी, भैयाथान, रामानुजनगर	1. रुपये 5,00,001/- से रुपये 10,00,000/- (रुपये पांच लाख एक से रुपये दस लाख) तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. छ.ग.नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 142 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले उत्तराधिकार अधिनियम सहित समस्त प्रकरण। 4. Specific Relief Act, 1963 (Amendment) Act, 2018 LJS Level के अंतर्गत प्रकरण (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जाएंगे। 5. आबंटित क्षेत्राधिकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 6. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।

11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सूरजपुर	--	(रिक्त न्यायालय)
12	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर	<u>तहसील</u> प्रेमनगर, ओड़गी भैयाथान, भटगांव	1. रुपये 01/- से रुपये 5,00,000/- (रुपये एक से रुपये पांच लाख) तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सिविल प्रकृति के विचारण योग्य अन्य प्रकरण। 3. प्रथम/प्रथम अतिरिक्त/तृतीय/तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।
13	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर	--	(रिक्त न्यायालय)
14	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर	--	(रिक्त न्यायालय)
15	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर	<u>तहसील</u> सूरजपुर, रामानुजनगर लटोरी, बिहारपुर	1. रुपये 01/- से रुपये 5,00,000/- (रुपये एक से रुपये पांच लाख) तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सिविल प्रकृति के विचारण योग्य अन्य प्रकरण।
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सूरजपुर	--	(रिक्त न्यायालय)
17	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सूरजपुर	--	(रिक्त न्यायालय)
18	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, सूरजपुर	--	(रिक्त न्यायालय)
19	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, प्रतापपुर	<u>तहसील</u> प्रतापपुर	1. रुपये 01 से रुपये 10,00,000/- (रुपये एक से रुपये दस लाख) तक मूल्य के व्यवहार वाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 139 एवं 142 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं अन्य प्रकरण। 5. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, प्रतापपुर के न्यायालय से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।

टीप :- (सिविल एवं आपराधिक)

- माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक-37/आर.जी./2007 दिनांक 08.02.2007 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में बाह्य न्यायालय, प्रतापपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा उपापित सत्र प्रकरण, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाली आपराधिक अपीलों एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं को सत्र न्यायालय, सूरजपुर में पंजीयन हेतु प्रेषित नहीं किया जाकर स्थानीय स्तर पर प्रतापपुर में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में ही पंजीयन एवं विधिवत् निराकरण हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पूर्व में कार्यरत् न्यायालय, जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनसे संबंधित अपील/पुनरीक्षण/याचिकाओं को न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

सही/-
(विनीता वार्नर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

न्यायाधीशगण के अवकाश व अनुपस्थिति की दशा में आवश्यक सिविल मामलों तथा अत्यावश्यक कार्य निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालयों द्वारा किया जाएगा :-

[illegible]

13	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर	(रिक्त न्यायालय)
14	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर	(रिक्त न्यायालय)
15	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, प्रतापपुर।
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सूरजपुर	(रिक्त न्यायालय)
17	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सूरजपुर	(रिक्त न्यायालय)
18	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, सूरजपुर	(रिक्त न्यायालय)
19	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, प्रतापपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर।

नोट :-

1. जिला न्यायाधीश, बैकुण्ठपुर कैम्प, सूरजपुर के निर्णय एवं आज्ञाप्ति, आदेश/अवार्ड से उत्पन्न निष्पादन, विविध प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां न्यायालय, प्रथम जिला न्यायाधीश, सूरजपुर के द्वारा संपादित की जाएंगी।

टीप :- माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 15250/D&A/2023, बिलासपुर, दिनांक 23.11.2023 के परिपालन में न्यायाधीशगण के अवकाश व अनुपस्थिति की दशा में आवश्यक सिविल मामलों तथा अत्यावश्यक कार्य हेतु अधिकृत न्यायाधीश आवश्यक मामलों की सुनवाई हेतु लिंक न्यायिक अधिकारी होंगे। ऐसे लिंक अधिकारी संभव होने पर प्रकरणों में आये साक्षीगण की साक्ष्य अंकित करायेंगे तथा यदि संभव न हो, तो शासकीय गवाहों को छोड़कर शेष साक्षीगण को संबंधित पीठासीन अधिकारी के कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से तीन दिवस के भीतर साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होने हेतु पाबंद करेंगे। आपराधिक प्रकरणों में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

आवश्यक प्रकरण तथा ऐसे प्रकरण, जिसमें साक्षी उपस्थित हैं, के अतिरिक्त उक्त न्यायालय के अन्य सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा सुनवाई में लिये जाकर सुनवाई हेतु/वास्तविक सुनवाई (जिस हेतु पूर्व से नियत हैं) हेतु नियत किये जायेंगे। यदि किसी कारणवश लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रकरण की सुनवाई करना संभव न हो, तो संबंधित पीठासीन अधिकारी के कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से तीन दिवस के भीतर उक्त न्यायालय की न्यायिक दैनंदिनी के अनुसार प्रकरण नियत किये जायेंगे एवं किसी भी स्थिति में प्रस्तुतकार द्वारा प्रकरणों को Adjourned नहीं किया जायेगा। सभी प्रकार के व्यवहार मामलों में सभी प्रकार की आदेश पत्रिकाओं में हस्ताक्षर कार्यभारित न्यायाधीश करेंगे, निष्पादन लिपिक नहीं करेंगे। उक्त ज्ञापन क्रमांक 15250/D&A/2023, बिलासपुर, दिनांक 23.11.2023 में प्रदत्त दिशा-निर्देश उन स्थानों के लिए लागू नहीं होंगे, जहां मात्र एक ही न्यायालय कार्यरत है। ऐसे स्थानों पर कार्य पूर्व में प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निष्पादित किया जाएगा।

कार्य विभाजन आदेश में निर्धारित व्यवस्था अनुसार विशेष न्यायालयों की जमानत याचिकाओं को छोड़कर शेष जमानत याचिकाएं मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठता क्रम में वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होंगी और सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार होगी :-

1. द्वितीय पश्चातवर्ती जमानत याचिका उन्हीं पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी, जिन्होंने पूर्व जमानत याचिका सुनी है।
2. समान अपराध क्रमांक में सह अभियुक्त की जमानत याचिका भी उन्हीं पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी, जिन्होंने पूर्व में उसी अपराध क्रमांक में जमानत याचिका सुनी है।
3. अग्रिम जमानत की दशा में अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका भी उन्हीं पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी, जिन्होंने अग्रिम जमानत याचिका पूर्व में सुनी है।
4. महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराध तथा POCSO Act से संबंधित अपराध की जमानत याचिकाएं अपर सत्र न्यायाधीश (FTSC) सूरजपुर द्वारा सुनी जाएंगी।

नोट:- उपरोक्त याचिकाओं के औपचारिक अंतरण की आवश्यकता नहीं होगी।

5. इस स्थापना में प्रस्तुत होने वाली जमानत याचिकाओं की संख्या को देखते हुए उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित जमानत याचिकाओं के अलावा शेष जमानत याचिकाओं की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर तथा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सूरजपुर द्वारा की जाएगी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर की अनुपस्थिति में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सूरजपुर की अनुपस्थिति में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा तथा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सूरजपुर की अनुपस्थिति में अपर सत्र न्यायाधीश (FTSC), सूरजपुर द्वारा सुनवाई की जाएगी।

6. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर के समक्ष Odd Number के अपराध क्रमांक से संबंधित जमानत याचिकाएं प्रस्तुत होंगी एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर के समक्ष Even Number के अपराध क्रमांक से संबंधित जमानत याचिकाएं प्रस्तुत होंगी, जिनके औपचारिक अन्तरण की आवश्यकता नहीं होगी।

सही/-

(विनीता वार्नर)

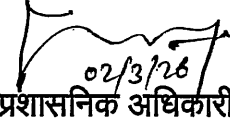
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

सूरजपुर, दिनांक 02.03.2026

पृ.क्रमांक क/एक-15-3/2013,

यथा निर्देशित प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् प्रथम/द्वितीय/तृतीय/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर/प्रतापपुर,
2. श्रीमान् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTSC), सूरजपुर,
3. श्रीमान् अध्यक्ष, डिस्ट्रीक्ट कोर्ट कम्प्यूटर कमेटी, सूरजपुर,
4. श्रीमान् प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर/प्रतापपुर,
5. श्रीमान् प्रथम/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, सूरजपुर,
6. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर
7. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सूरजपुर/प्रतापपुर
8. रजिस्ट्रार, केन्द्रीय पंजीयन शाखा, सूरजपुर/प्रतापपुर
9. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


02/3/26

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

सूरजपुर (छ.ग.)